न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/87/2019	2019/00330	10.10.2019	04.10.2021

1. जगदीश पुत्र निहाल सिंह जाति राजपूत निवासी बटाना तहसील बहरोड, जिला अलवर

—अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती राधा देवी पत्नि स्व0 श्री अर्जन सिंह जाति राजपूत, निवासी बटाना तहसील बहरोड़, जिला अलवर।

—असल रेस्पाडेन्ट

2. शेर सिंह पुत्र महीपाल सिंह जाति राजपूत।
3. अजीत सिंह पुत्र महीपाल सिंह जाति राजपूत।
4. लीलो कंवर पुत्री महीपाल सिंह जाति राजपूत।
5. सायर कंवर पुत्री महीपाल सिंह जाति राजपूत।
6. मंजू बाई पुत्री महीपाल सिंह जाति राजपूत।
7. लाली बाई पुत्री महीपाल सिंह जाति राजपूत निवासीयान बटाना तहसील बहरोड़ जिला अलवर।

—तरतीबी रेस्पाडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार नीमराना का निर्णय दिनांक 17.10.2000 नामान्तकरण संख्या 148 ग्राम बटाना तहसील बहरोड़ जिला अलवर राज0

उपस्थितः—

01. श्री रामेश्वर दयाल —वकील अपीलान्ट
02. श्री अमरचन्द चौधरी —तरतीबी रैस्पो0

——:: निर्णय ::——

अपीलान्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार नीमराना के आदेश दिनांक 17.10.2000 जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 148 वाके ग्राम बटाना तहसील बहरोड़, जिला अलवर को गलत तौर पर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। अपील अपीलांट की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि नायब तहसीलदार नीमराना का दिनांक 17.10.2000 का इंतकाल सं0 148 को स्वीकार किये जाने बाबत है जो इंतकाल बिना अपीलान्ट को सूचित किये पीछे से दर्ज कर स्वीकर किया है जिसकी जानकारी अपीलान्ट को पटवारी हल्का द्वारा सर्वप्रथम दिनांक 30.08.2018 को हुई जबकि अपीलान्ट पटवारी हल्का जमाबन्दी की नकल लेने गया तो पटवारी हल्का ने बताया कि तुम्हारी जमीन का इंतकाल रैस्पो0 सं0 1 के नाम स्वीकार हो चुका है। अपीलान्ट ने दिनांक 31.08.2018 को नकल हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जो नकल दिनांक को 10.09.2018 को प्राप्त हुई। नकल लेने के बाद अपीलान्ट ने अन्य कागजात एकत्रित किय तथा कानूनी सलाह ली इस प्रकार जानकारी की तारीख 30.08.2018 से अपील अन्दर मयाद पेश है। आदेश दिनांक 17.10.2000 से जानकारी की तारीख 30.08.2018 तक का समय उक्त स्थिति में धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत कन्डोन किये जाने योग्य है जिस हेतु अलग से प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। इंतकाल सं0 148 पटवारी हल्का ने दिनांक 13.07.2000 को बयनामा दिनांक 26.06.2000 के आधार पर दर्ज किया तथा इंतकाल मे खसरा नं0 191 भी दर्ज कर दिया तथा उक्त इंतकाल को नायब तहसीलदार नीमराना ने गलत तौर पर स्वीकार कर लिया। रैस्पो0 सं0 1 सुगना देवी स्त्री निहाल सिह जगदीश सिह पुत्र निहाल सिंह, अंगूरी देवी स्त्री पूरण सिंह, महीपाल पुत्र निहाल सिंह से आराजी खसरा नं0 93 रकबा 0.76 है0 का 1/2 भाग, खसरा नं0 122 रकबा 1 है0 13 एयर का 13 भाग जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 20.06.2000 को खरीद किया था। विक्रेता सुगना देवी व अंगूरी देवी का स्वर्गवास हो चुका है। जिसके वारीसान अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पो0 है। महीपाल सिंह का भी स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारीसान तरतीबी रैस्पो0 है। उक्त विक्रेतागण ने खसरा नं0 191 को विक्रय नही किया था। अदालत मातहत ने बयनामें के आधार पर इंतकाल स्वीकार किया है।

जिला कलक्टर, अलवर

बयनामें मे खसरा नं0 191 नही है उसके बावजूद अदालत मातहत ने खसरा नं0 19 का इंतकाल गलत तौर पर स्वीकार किया है। अदालत मातहत को बयनामें मे दर्ज आराजी के अलावा दीगर आराजी का इंतकाल स्वीकार करने का कोई अधिकार नही है किन्तु अदालत मातहत ने अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पो0 की खातेदारी की आराजी खसरा नं0 191 का इंतकाल गलत तौर पर स्वीकार किया है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अदालत मातहत नायब तहसीलदार नीमराना द्वारा दिनांक 17.10.2000 को इंतकाल सं0 148 वाके ग्राम बटाना तहसील नीमराना जिला अलवर को स्वीकार किया गया है। उस इंतकाल को निरस्त किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा दफा–5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट ने उक्त अपील अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.10.2000 के विरूद्व न्यायालय हाजा में दिनांक 08.10.2018 को पेश की गई है। जो करीब 18 वर्ष विलम्ब से पेश की गई है। अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दफा–5 के साथ हलफनामा पेश किया गया है। जिसके संबध में रैस्पो0 द्वारा कोई आपत्ती जाहिर नही की गई अपीलान्ट के हलफनामें के आधार पर मियाद की अवद्यि कण्डोन की जाती है।

अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 17.10.2000 का अवलोकन किया तथा अपीलान्ट द्वारा पेश बयनामा प्रति का अवलोकन किया मुताबिक बयनामा अपीलान्ट की माता तथा तरतीबी रैस्पो0 के पिता द्वारा जरिये बयनामा खसरा नं0 93 रकबा 0.76 है0 का 1/2 भाग, खसरा नं0 194 रकबा 0.54 है0 सालिम तथा खसरा नं0 122 रकबा 1.13 है0 का 1/3 भाग का बैचान किया गया है। जबकी मुताबिक नामान्तकरण संख्या 148 दिनांक 17.10.2000 के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नं0 93 व खसरा नं0 122 का इन्द्राज बयनामा अनुसार सही किया गया है। तथा मुताबिक बयनामा खसरा नं0 194 का इन्द्राज नही किया गया है, जो किया जाना चाहिए था। तथा खसरा नं0 191 का इन्द्राज किया गया है, जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नही किया जाना चाहिए था।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहसीलदार नीमराना को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि बयनामा दिनांक 26.06.2000 का अवलोकन कर नियमों के आलोक में पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 04.10.2021 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर, अलवर
(राजस्थान)
जिला कलक्टर, अलवर